

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & Other matters)

Wednesday, 4th October, 2000/Ashvina, 12, 1922(SAKA)

No.107

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from the Dy. Commissioner of Police, New Delhi Distt.:-

"The following MLAs of Delhi Vidhan Sabha were detained u/s 65 of the D.P. Act, Police Station Parliament Street at 11.15 A.M. on 3.10.2000 for disobeying the lawful directions namely S/Shri Subhash Chopra, Ramesh Kumar, Tek Chand Sharma, Surender Kumar, Kanwar Karan Singh, Mukesh Sharma, Arvinder Singh Lovely, Jagdish Anand, Bheeshm Sharma, Mohinder Singh Bhattewala, Deep Chand Bandhu, Smt. Darshana Ram Kumar, Smt. Tajdar Babar, Smt. Kiran Walia, Smt. Kiran Chaudhary and Smt. Meera Bhardwaj.

They were released at 11.42 A.M. from the same place on the same day i.e. 3.10.2000."

S.K. SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §
बुधवार 04 अक्टूबर, 2000/ आरिवन 12, 1922 § शक

संख्या: 107

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को पुलिस उपायुक्त, जिला नई दिल्ली, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

• मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्व/श्री सुभाष चौपडा, रमेश कुमार, टेक चन्द शर्मा, सुरेन्द्र कुमार, कंवर करन सिंह, मुकेश शर्मा, अरविन्द्र सिंह लक्ली, जगदीश आनन्द, भोषम शर्मा, महेन्द्र सिंह भट्टेवाला, दीपचन्द बन्धु, श्रीमती दर्शना राम कुमार, श्रीमती ताजदार बाबर, श्रीमती किरण वालिया, श्रीमती किरण चौधरी और श्रीमती मोरा भारद्वाज को दिनांक 3.10.2000 को प्रातः 11.15 बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों की अज्ञा करने के कारण शाना संसद मार्ग के सामने से नज़रबन्द किया गया ।

उन्हे वहीं से उसी दिन अर्थात् 3.10.2000 को प्रातः 11.42 बजे रिहा कर दिया गया ।

एस.के.शर्मा
सचिव